

12 MAY 2005
नियंत्रण शाखा

बिहार सरकार
समन्वित मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

पु.प.सं-2

संख्या:-सी.एस.ओ./आर.ओ.-1-60/2002/1014/पटना-15, दि. 11.5.2005

13 MAY 2005
मुख्य सचिव, पटना

विषय:- सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में नीति एवं प्रक्रिया।
संकेत संख्या-3910 दिनांक-25-10-1980 में, पदस्थापन की प्रतीक्षा में अवधि न्यूनतम करने हेतु विभागों/विभागाध्यक्षों को तदर्थ पदस्थापन की शक्तियाँ सौंपने के संबंध में।

सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में नीति एवं प्रक्रिया निर्धारण मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या-3910 दिनांक-25-10-1980 द्वारा किया गया था। उक्त संकल्प में पदस्थापन की प्रतीक्षा न्यूनतम करने हेतु विभागों/विभागाध्यक्षों को तदर्थ पदस्थापन की शक्तियाँ सौंपने का प्रावधान तानिहित नहीं किया गया था। अतएव राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरांत उक्त संकल्प के एड "क" की कंडिका-1 में उक्त कंडिका 1.1.1 के रूप में निम्नांकित प्रावधान को जोड़ने का निर्णय लिया गया है:-

1.1.1 पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों के मामले में विभागीय सचिव, प्रभारी मंत्री/राज्यमंत्री का अनुमोद प्राप्त कर पदस्थापन की प्रतीक्षा का स्पष्ट कारण एवं अवधि दर्शाते हुए, तदर्थ पदस्थापन की कार्यवाही करेंगे। इसके लिए स्थापना समिति की अनुमति आवश्यक नहीं होगी और स्थानांतरण पदस्थापन के मार्गदर्शक सिद्धांत का अक्षरमः पालन किया जाना अनिवार्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी पदाधिकारी को दरमंगा में भूमि सुधार उन्नत समाहर्ता का पदभार स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में सौंपना पड़ा हो परन्तु उसका पदस्थापन नहीं और न हुआ हो तो तदर्थ पदस्थापन दरमंगा में ही कार्यपात्र पदाधिकारी के रिक्त पद पर किया जा सकता है। तदर्थ

पु.प.सं-2/1014/पटना-15
12.5.2005
मुख्य सचिव, पटना

पदस्थापन मुख्यालय में योगदान के 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित किया जायेगा।

क. जिन मामलों में विभागाध्यक्ष के स्तर से पदस्थापन होता है, उन मामलों में भी, बिना स्थापना समिति की अनुमति के तदर्थ पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी।

ख. तदर्थ पदस्थापन के सभी मामलों को नियमित स्थापना समिति के समक्ष अवश्य उपस्थापित किया जाएगा जो मार्गदर्शक सिद्धान्तों का अनुसरण करे हुए तदर्थ पदस्थापन की संपूर्ण अथवा अपेक्षित परिवर्तन की अनुमति देगा और तदुपरांत सक्षम पदाधिकारी का निर्णय प्राप्त कर आदेश निर्गमित किया जायेगा।

ग. यह दुहराना आवश्यक नहीं है कि नियमित स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन न होने की स्थिति स्वीकार्य नहीं है और क्षेत्रीय पदाधिकारियों की अनुमतिरहितता के चलते या नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई प्रथा प्रभार नहीं सौंपने की स्थिति में एकल या प्रभार ग्रहण करना नहीं करने के चलते "पदस्थापन की प्रतीक्षा" की स्थिति नहीं आनी चाहिए और ऐसे मामलों में प्रथम दृष्टया दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। उदाहरणस्वरूप, नियमित स्थानान्तरण आदेश के बाद यदि कोई अतिरिक्त अधिकारी प्रभार नहीं सौंप रहा हो तो इसे सुनिश्चित करना जिना पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

इस उद्देश्य से सामान्य स्थानान्तरण-पदस्थापन की हर अधिसूचना में नियंत्री पदाधिकारियों को अनिवार्य तौर पर यह दायित्व सौंपा जाता है कि वे पदस्थापित किए गए पदाधिकारी के योगदान के एक सप्ताह के अंदर प्रभार नहीं सौंपे जाने पर एकतरफा प्रभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें और प्रभार सौंपने में कठिनाई उत्पन्न करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर भेजें।

घ. पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि में भी वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। वेतन विषय जानना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी। विषय पर विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष का प्रसिद्धाक्षर अनिवार्य तौर पर

होगा ताकि उन्हें यह व्यवस्थित जानकारी हो सके कि कौन-सा पदाधिकारी किस तिथि से पदस्थापन की प्रतीक्षा में है। वेतन की निकासी सुव्यवस्था के लिए बजट प्रावधान से ही हो जायेगी। प्रभासी विभाग, आवश्यकतानुसार पूरक आशुपत्र सी०एन०५२५०० अग्रिम लेकर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करेगा। इस संबंध में विस्तृत निर्देश वित्त विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा।

११/११ इस संकल्प के निर्गत होने के बाद किसी भी पदाधिकारी का पूर्व से ही पदस्थापन की प्रतीक्षा में होने का दावा मान्य नहीं होगा यदि वह उपर्युक्त उप कडिका ११/१५ में वर्णित रीति से तत्काल वेतन भुगतान लेना प्रारंभ नहीं करता। पूर्व की प्रतीक्षा की अवधि का वेतन पूर्ववत् सक्षम पद प्राधिकार द्वारा विनियमन के बोध में भुगतान होगा।

यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

(Signature)

शशि शेखर शर्मा
सरकार के सचिव

आपांक-सी०एस०१/आर०-१-६०/२००२/१०१५/पटना-१५/दि० ११ मई, २००५ ई०।

प्रतिनिधि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राज्यपाल के आवाधारण अंक में प्रकाशार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि इसकी २००० प्रतियाँ अविलम्ब उपलब्ध करावे।

(Signature)

शशि शेखर शर्मा
सरकार के सचिव

(Signature)

21

26

आपांक-सी०एस०/आर०-१-६०/२००२ १०१५/पटना-१५, दि०- ११ मई, २००५ई०

प्रतिलिपि- राज्यपाल के सचिव को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव, अवर मन्त्रालय

सरकार के सचिव

आपांक-सी०एस०/आर०-१-६०/२००२ १०१५/पटना-१५, दि०- ११ मई, २००५

प्रतिलिपि- सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/विशेष सचिव को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव, अवर मन्त्रालय

सरकार के सचिव

आपांक-सी०एस०/आर०-१-६०/२००२ १०१५/पटना-१५, दि०- ११ मई, २००५ई०

प्रतिलिपि- श्रीमती. रीता आचार्य, उपा सचिव, श्री०एस०-१, मंडी गुनालम, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव, अवर मन्त्रालय

सरकार के सचिव